न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्याः— 280/2012 (रैफरेन्स)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर (लैण्ड होल्डर)

.....प्रार्थी

बनाम

1. हरमाया बेबा बृजेन्द्रसिंह
2. भानुप्रताप सिंह, अलवेन्द्रसिंह, ओमप्रकाश, प्रेमपाल, सत्यभान पिसरान बृजेन्द्र सिंह
3. रामलता पुत्री बृजेन्द्रसिंह
4. उर्मिला बेबा विजयपाल सिंह कौम ठाकुर निवासीगण ग्राम इब्राहिमपुर तह0 रूपवास

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 611 रकवा 9 विस्वा के विरूद्ध आवटन/नामान्तरकरण संख्या 881 दिनांक 11.12.1983 को निरस्त कर गैरमुमकिन पोखर दर्ज करने बाबत।

उपस्थित :
1. राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री दुलीचन्द शर्मा वकील अप्रार्थी0।

निर्णय

दिनांक : 29.01.2021

प्रार्थी तहसीलदार द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी0 के हक में नियमन/आवंटन विधिविरूद्ध होने के कारण आराजी खसरा नम्बर 611 रकबा 9 विस्वा किस्म गैरमुमकिन पोखर बाकै ग्राम इब्राहिमपुर तहसील रूपवास के प्रभाव में किये गये समस्त नामान्तरकरण संख्या 881 वगैरह

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

को निरस्त फरमाया जावे तथा भूमि को पूर्व की भांति गैरमुमकिन पोखर दर्ज किये जाने के प्रस्ताव राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाये जावे।

रैफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार एवं वकील अप्रार्थी0 की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपने कथनों में बताया कि आराजी खसरा नम्बर 611 रकवा 9 विस्वा किस्म गैरमुमकिन पोखर ग्राम इब्राहिमपुर तहसील रूपवास पर जमाबन्दी सम्बत 2063–66 में बृजेन्द्रसिंह पुत्र बहादुर गैर खातेदार साल 22 दर्ज है। उनका कहना है कि विवादित आराजी को आवंटन कमेटी ने दिनांक 14.04.1975 को अप्रार्थी को आवन्टित/नियमन की गई थी। नामान्तरकरण संख्या 881 दिनांक 27.12.1983 से बृजेन्द्र गैर खातेदार दर्ज किया गया। विवादित आराजी गैर मुमकिन पोखर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ऐसी भूमियां धारा 16 आर.टी.एक्ट के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में आजी है। ऐसी भूमियों को आवंटित नहीं किया जा सकता है। आवंटन प्रभाव शून्य है। राजकीय अधिवक्ता ने सर्वोत्तम न्यायालय के प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि ऐसी भूमियों का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। रैफरेस स्वीकार किया जाकर प्रकरण को राजस्व मण्डल अजमेर को भेजा जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने कथनो में जाहिर किया कि विवादित आराजी कभी गैरमुमकिन पोखर नहीं रही है। इस खसरा नम्बर 611 में गांव आबादी बसी हुई है। राजस्व कर्मचारियों ने भूमि किस्म सही दर्ज नहीं की है। यह एक बडा नम्बर है जिसमें राजकीय स्कूल बिल्डिंग, गौरव पथ बनी हुई है। उनका यह भी कहना है कि अप्रार्थी के पिता को उक्त भूमि आवासीय उपयोग हेतु सन् 1975 में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन की गई थी। इस पर कब्जे के आधार पर नियमन की गई थी। इस पर धारा 82 एल.आर.एक्ट लागू नहीं होता है तथा धारा 16 आर.टी.एक्ट से भी नियमन प्रभावित नहीं होता है। आवंटन के खिलाफ रैफरेस नहीं चल सकता है। तहसीलदार ने मात्र सम्बत 2063–66 की जमाबन्दी में हो रहे अंकन के आधार पर रैफरेस तैयार कर भेजा है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि अब्दुल रहमान के प्रकरणों में वर्ष 1947 की राजस्व रिकार्ड की स्थिति देखनी आवश्यक है, यहां ऐसा नहीं किया गया है। उनका कहना है कि तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट में भी विवादित आराजी को मौका स्थिति में कही भी पोखर या पानी भराव क्षेत्र नहीं बताया है, वहां

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

मकान, स्कूल, गौरव पथ बना होना अंकित कया है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने तर्को के समर्थन में आर.आर.डी. 1974 पेज 359 से 361, आर.आर.डी. 1972 पेज 273 से 274, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 134 से 141, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 718 से 720 उद्धरित की गई। रैफरेस खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक उभयपक्ष के कथनो पर गौर किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत 2026–2029 आराजी खसरा नम्बर 611 पोखर दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत 2059–2062 में खसरा नम्बर 611 मि. (9 विस्वा) पर विजेन्द्रसिंह पुत्र बहादुर सिंह कौम ठाकुर सा.देह गैर खातेदार साल 18 दर्ज है। जमावन्दी संवत 2063–2066 मं आराजी खसरा नम्बर 2065/611 (9 विस्वा) बृजेन्द्रसिंह पुत्र बहादुर सिंह कौम ठाकुर सा. देह गैर खातेदार साल 22 दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2067–2070 में भी उक्तानुसार ही इन्द्राज दर्ज रिकार्ड है। नकल नामान्तरकरण संख्या 881 के कॉलम संख्या 5 में मकबूजा सिवायचक, कॉलम संख्या 6 में 611 मिन (9 विस्वा) विवरण वाले कॉलम में "श्रीमानजी मुताविक हुक्म तारीक 14.04.75 दा.खा. विनियमन का अंकन है।

इस प्रकार समस्त राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 611 रकवा 9 विस्वा की किस्म संवत 2026–2027 तक एवं आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन पोखर दर्ज चली आ रही है। यह भी सही है कि पानी के नीचे डूबी भूमि धारा 16(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिबन्धित किस्म की भूमियों की श्रेणी में आती है, जिन पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं दिये जा सकते। मौका रिपोर्ट दिनांक 26.11.2015 से आराजी खसरा नम्बर 611 पर रिहायशी मकान, आयुर्वेदिक औषद्यालय बना होना, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गौरव पथ बना होता बताया है अर्थात आज की किस्म में उक्त आराजी पोखर के रूप में नहीं होकर अन्य सार्वजनिक एवं निजी प्रयोजनार्थ काम आ रही है जबकि नामान्तरकरण संख्या 881 जिसके द्वारा अप्रार्थी को भूमि का नियमन किया गया, उसमें भूमि की किस्म मकबूजा सिवायचक दर्ज है। हस्तगत प्रकरण तहसीलदार रूपवास द्वारा माननीय उच्च न्यायालक के अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में प्रस्तुत किया है। हस्तगत प्रकरण के निर्णय में न्यायिक नजीरे आर.आर.टी. 2016(1) पेज 718, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 134 हमारी मदद

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

करती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार ने अपने निर्णय में यह कथन किया है कि नदी/नालों के बहाव क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण कार्य या खनन नहीं किया जावे एवं दिनांक 15.08.1947 की स्थिति में विद्यमान नदी/नालों की स्थिति बहाल की जावें। प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 15.08.1947 की स्थिति में विवादित भूमि की किस्म क्या रही है इससे सम्बन्धित कोई दस्तावेज/राजस्व रिकार्ड पत्रावली में मौजूद नहीं है। साथ ही आवंटन या नियमन से नदी नाले के अपवाह क्षेत्र में कोई अवरोध उत्पन्न हुआ हो इसकी भी जांच पत्रावली पर मौजूद नहीं है। आर.आर.टी. 2018(1) सरकार बनाम भदेई व अन्य में पेज नम्बर 141 पैरा संख्या 14 में निम्नानुसार कथन है:-

> "उपरोक्त छः प्रकरण में आवंटन वर्ष 1973 के है। एक लम्बे समय के पश्चात बिना पूर्ण जांच के सरसरी तौर पर रैफरेंस प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाना न्यायोचित नहीं है। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर को रैफरेंस प्रेषित करने से पूर्व मौका जांच करवाई जाकर यह निष्कर्ष निकालना था कि आवंटन से क्या नदी/नाले के बहाव क्षेत्र में रूकावट पैदा हो रही है।"
>
> Reference to cancel the allotment- "No enquriy made as to whether the allotment is creating obstruction in catchment area"

इस प्रकार उपर्युक्त न्यायिक नजीरों एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने पर मेरा मत है कि तहसीलदार रूपवास उक्त समस्त बिन्दुओं दिनांक 15.08.1947 पर विवादित आराजी की स्थिति, आवंटन के समय राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति, आवंटन से नदी/नाले के अपवाह क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होने सम्बन्धी बिन्दुओं पर विस्तृत जांच कर पुनः प्रकरण रैफरेंस योग्य पाया जाने पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को सुनाया गया।

(वीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)